



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17052024-254215
CG-MH-E-17052024-254215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]
No. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 17 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/177.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

परंतु यह कि विनियम 3, 17, 21(5), 25, 30 [उप-विनियम (11) का स्पष्टीकरण हटाए जाने संबंधी संशोधन], 34, 43क और 44 में किए गए संशोधन 31 दिसम्बर, 2024 से लागू होंगे:

परंतु यह और कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के अनुसार पहली सूची मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार तैयार की जाएगी।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में -

I. विनियम 3 में,

i. उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्-

“(2) इन विनियमों के प्रावधान किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के मामले में बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर निम्नानुसार लागू होंगे:

(क) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, कैलेंडर वर्ष समाप्त होने पर (यानि कि 31 दिसम्बर को), उन एंटीटियों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्होंने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई हुई हों, और वह उन एंटीटियों का क्रम उस कैलेंडर वर्ष में 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक की अवधि के दौरान उनके औसत बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर रखेगा।

(ख) उसके बाद संबंधित प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी पर, 31 दिसम्बर से तीन महीनों की अवधि के बाद (यानि कि 1 अप्रैल को) या ठीक अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख से (जो भी बाद में आए), लागू हो जाएँगे, जिसके लिए पहली बार ऐसे प्रावधानों का पालन करना जरूरी हो जाए (या यदि लागू हो, तो उसके लिए बीच की किसी अवधि के बाद उनका पालन करना जरूरी हो जाए):

परंतु यह कि जिस सूचीबद्ध एंटीटी के लिए पहली बार पालन करना जरूरी हो या बीच की किसी अवधि के बाद पालन करना जरूरी हो, वह विनियम 34 के उप-विनियम (2) के खंड (च) का पालन करने के लिए 31 दिसम्बर से तीन महीनों की अवधि के भीतर (यानि कि 1 अप्रैल तक) या ठीक अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख से (जो भी बाद आए) जरूरी व्यवस्थाएँ करेगी और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी, और साथ ही वह उस वित्तीय वर्ष हेतु तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट में ‘बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट’ शामिल करेगी और / या ‘बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर’ की पुष्टि करेगी, जिस वित्तीय वर्ष में इस परंतुक के अनुसार व्यवस्थाएँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करनी थीं।

(ग) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी उन संबंधित प्रावधानों का पालन करना जारी रखेगी, जो उस पर पिछले वर्ष के बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर लागू थे, और जो इस उप-विनियम के खंड (क) के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा तैयार की गई सूची में उसके क्रम के आधार पर भी उस पर लागू रहें।”

- ii. उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित नए उप-विनियम (2क) और 2(ख) जोड़े जाएँगे, अर्थात्—
 “(2क) इन विनियमों के जो प्रावधान बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के मानदंडों के आधार पर किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी पर लागू हो जाएँ, वे उस एंटीटी पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इस विनियम के उप-विनियम (2) के अनुसार तैयार की गई सूची में उसके क्रम में बदलाव न हो जाए, और उस बदलाव की वजह से वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी लगातार तीन वर्षों की अवधि तक लागू सीमा-रेखा (श्रेस्होल्ड) से बाहर न रहे।

(2ख) जो सूचीबद्ध एंटीटियाँ इस विनियम के उप-विनियम (2क) के अनुसार लगातार तीन वर्षों की अवधि तक लागू सीमा-रेखा (श्रेस्होल्ड) से बाहर रहें, उन पर बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के मानदंडों के आधार पर लागू प्रावधान उस लगातार तीसरे वर्ष की 31 दिसम्बर के बाद वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेंगे:

परंतु यह कि जिन सूचीबद्ध एंटीटियों का वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक का हो, उनके मामले में ये प्रावधान उस लगातार तीसरे वर्ष की 31 दिसम्बर से तीन महीने समाप्त होने पर (यानि कि 31 मार्च) लागू नहीं रहेंगे।”

II. विनियम 15 में, उप-विनियम (1क) में,

- i. दूसरे परंतुक में, अंकों, शब्द और चिह्न “31 मार्च, 2024” के स्थान पर अंक, शब्द और चिह्न “31 मार्च, 2025” आ जाएँगे;
- ii. स्पष्टीकरण (3) में, अंकों, शब्द और चिह्न “31 मार्च, 2024” के स्थान पर अंक, शब्द और चिह्न “31 मार्च, 2025” आ जाएँगे;

III. विनियम 17 में,

- i. उप-विनियम (1) में, खंड (क) में,
1. परंतुक में,
 - क. शब्द, अंक और चिह्न “शीर्ष 500 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) में 1 अप्रैल, 2019 तक और” हट जाएँगे;
 - ख. अंक, शब्द और चिह्न “1 अप्रैल, 2020 तक” हट जाएँगे;
 2. स्पष्टीकरण हट जाएगा;
- ii. उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में,
1. शब्द, अंक और चिह्न “शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के निदेशक मंडल में (1 अप्रैल, 2019 से) और” हट जाएँगे;
 2. चिह्न, अंक और शब्द “(1 अप्रैल, 2020 से)” हट जाएँगे;
 3. स्पष्टीकरण हट जाएगा;
- iii. उप-विनियम (2क) में,
1. अंक, शब्द और चिह्न “1 अप्रैल, 2019 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के और” हट जाएँगे;
 2. अंक, शब्द और चिह्न “1 अप्रैल, 2020 से” हट जाएँगे;

3. स्पष्टीकरण I में, अंक "I" हट जाएगा;
 4. स्पष्टीकरण II हट जाएगा;
- IV. विनियम 21 में,
- i. उप-विनियम (3ग) में, शब्दों "एक सौ अस्सी" के स्थान पर, शब्द "दो सौ दस" आ जाएँगे;
 - ii. उप-विनियम (5) में, खंड (i) में, शब्द "उन" हट जाएगा, और चिह्न तथा शब्द ", जिनका निर्धारण, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर किया जाएगा" हट जाएँगे;
- V. विनियम 25 में, उप-विनियम (10) में,
- i. शब्द और चिह्न "1 जनवरी, 2022 से," हट जाएँगे;
 - ii. शब्द और अंक "पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार" हट जाएँगे;
- VI. विनियम 26क में,
- i. उप-विनियम (1) में,
 1. मौजूदा परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों तथा चिह्नों "कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी" से पहले शब्द "और" जोड़ा जाएगा;
 2. मौजूदा परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-
 "परंतु यह कि जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के लिए ऐसे खाली पदों को भरने के संबंध में विनियामक (रेग्यूलटरी), सरकारी या सांविधिक प्राधिकरणों से मंजूरी लेना जरूरी हो, वहाँ ऐसे खाली पद सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द, किंतु पद खाली होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, भरे जाएँगे;"
 - ii. उप-विनियम (2) में,
 1. मौजूदा परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों तथा चिह्नों "कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी" से पहले शब्द "और" जोड़ा जाएगा;
 2. मौजूदा परंतुक से पहले, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-
 "परंतु यह कि जहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के लिए ऐसे खाली पद को भरने के संबंध में विनियामक (रेग्यूलटरी), सरकारी या सांविधिक प्राधिकरणों से मंजूरी लेना जरूरी हो, वहाँ ऐसा खाली पद सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द, किंतु पद खाली होने की तारीख से छह महीनों के भीतर, भरा जाएगा;"
- VII. विनियम 29 में,
- i. उप-विनियम (1) में,
 1. शब्दों "पूर्व सूचना" के बाद और शब्द "देगी" से पहले, चिह्न और शब्द ", कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (जिसमें सूचना देने की तारीख और बैठक की तारीख शामिल नहीं है)," जोड़े जाएँगे;
 2. खंड (घ) में,

क. शब्दों “किसी अन्य प्रकार से” के बाद और शब्दों तथा चिह्नों “निधि (फंड) जुटाने” से पहले, शब्द और चिह्न “प्रतिभूतियाँ (सिक्क्यूरिटीज़) [जिनमें प्रतिभूति रसीदें (सिक्क्यूरिटीज़ रिसिट्स), प्रतिभूत ऋण लिखतें (सिक्क्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित मुद्रा बाजार लिखतें (इन्स्ट्रुमेंट्स) शामिल नहीं हैं] जारी (निर्गमित / इश्यू करके) जोड़े जाएँगे;

ख. मौजूदा परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह और कि ‘क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशन्स प्लेसमेंट’ के मामले में इश्यू प्राइस (निर्गम कीमत – यानि कि जिस पर शेयर जारी किए जाते हों) तय करने के लिए तब सूचना देना जरूरी नहीं है, जब ऐसा प्लेसमेंट भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के प्रावधानों के अनुसार किया जाए।”

3. खंड (च) के बाद, निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्-

“(छ) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) उसकी किन्हीं प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के स्वरूप आदि में किसी भी तरह का बदलाव अथवा उनके धारकों (होल्डर) के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई बदलाव;

(ज) उस तारीख में कोई बदलाव, जिस तारीख को डिबेंचरों या बॉण्डों पर ब्याज देय हो जाए, अथवा रिडीमेबल (मोचनीय) शेयरों को बेचने (रिडीम करने) पर अथवा डिबेंचरों या बॉण्डों को बेचने (रिडीम करने) पर मिलने वाली रकम देय हो जाए।”

ii. उप-विनियम (2) और परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) उप-विनियम (1) के तहत दी जाने वाली सूचना में निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) की उस बैठक की तारीख भी बताई जाएगी।”

iii. उप-विनियम (3) हट जाएगा;

VIII. विनियम 30 में, उप-विनियम (11) में,

i. शब्दों “सूचीबद्ध एंटीटी” के बाद तथा शब्दों और चिह्नों “स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों)” से पहले, दिए हुए चिह्नों तथा शब्दों “, स्वप्रेरणा से भी,” के स्थान पर शब्द “स्वयं भी” आ जाएँगे;

ii. पहले परंतुक में,

1. शब्दों और चिह्नों “मुख्य धारा की (मेनस्ट्रीम) मीडिया में” के बाद दिए हुए शब्दों “किसी घटना या जानकारी की कोई रिपोर्ट आई हो” के स्थान पर शब्द “किसी घटना आदि की जानकारी” आ जाएँगे;

2. शब्दों “ये अफवाहें फैली हुई हैं” के स्थान पर, शब्द “यह अफवाह फैली हुई है” आ जाएँगे;

3. शब्दों “इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई महत्वपूर्ण” के स्थान पर शब्द “किसी” आ जाएगा;
 4. शब्दों “घटी है या कोई महत्वपूर्ण” के स्थान पर, शब्द “आदि की” आ जाएँगे;
 5. चिह्न और शब्दों “, तो ऐसे में” के बाद चिह्न और शब्द “, कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव (जैसा स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा बताया जाए) होने पर,” आ जाएँगे;
 6. शब्दों “उस तारीख से जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए” के स्थान पर शब्द “बोर्ड द्वारा निर्धारित तारीख से” आ जाएँगे;
 7. शब्दों “ऐसी घटना या जानकारी की रिपोर्ट किए जाने से” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “किसी भी स्थिति में कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने से” आ जाएँगे;
- iii. दूसरे परंतुक में, चिह्न “1” के स्थान पर, चिह्न “:” आ जाएगा;
- iv. दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “परंतु यह और कि जब सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने से चौबीस घंटों के भीतर, उस घटना आदि की जानकारी की पुष्टि करती हो जिस घटना आदि की जानकारी मिले और जिस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन, 2018] के अध्याय-V या अध्याय-VI में कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग) के संबंध में दिए हुए मानदंड अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011] के विनियम 8 या विनियम 9 में कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग) के संबंध में दिए हुए मानदंड अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018 [सेबी (बाय-बैक ऑफ सिक्यूरिटीज़) रेग्यूलेशन, 2018] के विनियम 19 या विनियम 22ख में कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग) के संबंध में दिए हुए मानदंड अथवा बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कीमत-निर्धारण के संबंध में निर्धारित किए गए कोई अन्य मानदंड लागू हों, तो ऐसी स्थिति में कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से या उस घटना आदि की जानकारी की पुष्टि किए जाने की वजह से, उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के इक्विटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, संबंधित लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) की कीमत की गणना करने के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।”
- v. स्पष्टीकरण हट जाएगा।
- IX. विनियम 30 में, उप-विनियम (11) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “(11क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी का संप्रवर्तक (प्रमोटर), निदेशक, उसके प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति या उसका वरिष्ठ प्रबंध-मंडल सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का पूरा उत्तर या माँगा गया समस्त स्पष्टीकरण सही-सही और समय पर देंगे, ताकि इस विनियम के उप-विनियम (11) में दी हुई अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित हो सके, और सूचीबद्ध एंटीटी ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) से मिले उत्तर या स्पष्टीकरण की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत देगी।”
- X. विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में, खंड (च) में, स्पष्टीकरण-1 में, खंड (i) हट जाएगा;
- XI. विनियम 43क में, उप-विनियम (1) में, चिह्न, शब्द और अंक “(जिसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार की जाती है)” हट जाएँगे;

XII. विनियम 44 में,

- i. उप-विनियम (5) में, शब्द, अंक और चिह्न "प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार," हट जाँगे;
- ii. उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण हट जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./125/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/029, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38 के साथ पठित], द्वारा
 - छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईवीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
 - ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/28, द्वारा
- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा
- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- डड) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा

- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा
- जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा
- झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा
- ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा
- टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- ठठ) 14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131, द्वारा
- डड) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ढढ) 23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/149, द्वारा
- णण) 19 सितम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151, द्वारा
- तत) 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/155, द्वारा
- थथ) 20 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/158, द्वारा
- दद) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 17th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/177.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the amendments in Regulations 3, 17, 21(5), 25, 30 [omission of the Explanation under sub-regulation (11)], 34, 43A and 44 shall come into force with effect from December 31, 2024:

Provided further that the first list in accordance with clause (a) of sub-regulation (2) of Regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 shall be prepared by the recognized stock exchange(s) as on December 31, 2024.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

I. in regulation 3,

i. sub-regulation (2) shall be substituted with the following sub-regulation, namely-

“(2) The applicability of the provisions of these regulations to a listed entity on the basis of market capitalisation shall be determined as follows:

(a) Every recognized stock exchange shall, at the end of the calendar year i.e., 31st December, prepare a list of entities that have listed their specified securities ranking such entities on the basis of their average market capitalisation from 1st July to 31st December of that calendar year.

(b) The relevant provisions shall then become applicable to a listed entity that is required to comply with such requirements for the first time (or, if applicable, required to comply after any interim period) after a period of three months from December 31 (i.e. April 1) or from the beginning of the immediate next financial year, whichever is later:

Provided that the listed entity, which is required to comply for the first time or after a period of cessation, shall put in place systems and processes for compliance with clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 34 within a period of three months from December 31 (i.e. on or before April 1) or from the beginning of the immediate next financial year, whichever is later, and further disclose the Business Responsibility and Sustainability Report and/or assurance as per the Business Responsibility and Sustainability Report Core in the Annual Report prepared for the financial year in which systems and processes were required to be put in place in accordance with this proviso.

(c) The listed entity shall continue to comply with relevant provisions that were applicable to it based on the market capitalisation of previous year and continue(s) to remain applicable on the basis of its rank in the list prepared by recognized stock exchanges as per clause (a) of this sub-regulation.”

ii. after sub-regulation (2), the following new sub-regulations (2A) and 2(B) shall be inserted, namely-

“(2A) The provisions of these regulations, which become applicable to a listed entity on the basis of criteria of market capitalisation, shall continue to apply to such an entity unless its ranking changes in the list prepared in accordance with sub-regulation (2) of this regulation and such change results in the listed entity remaining outside the applicable threshold for a period of three consecutive years.

(2B) For such listed entities which remain outside the applicable threshold for a period of three consecutive years in terms of sub-regulation (2A) of this regulation, the provisions that apply on the

basis of criteria of market capitalisation shall cease to apply at the end of the financial year following the 31st December of the third consecutive year:

Provided that for those listed entities that follow January to December as its financial year, the provisions shall cease to apply at the end of three months from 31st December of the third consecutive year (i.e. on 31st March)."

- II. in regulation 15, in sub-regulation (1A),
 - i. in the second proviso, the words and symbols "March 31, 2024" shall be substituted by the words and symbols, "March 31, 2025";
 - ii. in Explanation (3), the words and symbols "March 31, 2024" shall be substituted by the words and symbols, "March 31, 2025";
- III. in regulation 17,
 - i. in sub-regulation (1), in clause (a),
 1. in the proviso,
 - A. the words, numerals and symbols "top 500 listed entities shall have at least one independent woman director by April 1, 2019 and the Board of directors of the" shall be omitted;
 - B. the words, numerals and symbols "by April 1, 2020" shall be omitted;
 2. the Explanation shall be omitted;
 - ii. in sub-regulation (1), in clause (c),
 1. the words, numerals and symbols "top 1000 listed entities (with effect from April 1, 2019) and the" shall be omitted;
 2. the words, numerals and symbols "(with effect from April 1, 2020)" shall be omitted;
 3. the Explanation shall be omitted;
 - iii. in sub-regulation (2A),
 1. the words, numerals and symbols "top 1000 listed entities with effect from April 1, 2019 and of the" shall be omitted;
 2. the words, numerals and symbols "with effect from April 1, 2020" shall be omitted;
 3. in Explanation I, the numeral "I" shall be omitted;
 4. Explanation II shall be omitted;
- IV. in regulation 21,
 - i. in sub-regulation (3C), the words "one hundred and eighty" shall be substituted by the words "two hundred and ten";
 - ii. in sub-regulation (5), in clause i, the words and symbols ", determined on the basis of market capitalization as at the end of the immediate preceding financial year" shall be omitted;
- V. in regulation 25, in sub-regulation (10),
 - i. the words, symbols and numerals "With effect from January 1, 2022, the", shall be substituted by the word "The";
 - ii. the words, symbols and numerals "calculated as on March 31 of the preceding financial year," shall be omitted;
- VI. in regulation 26A,
 - i. in sub-regulation (1),
 1. in the existing proviso, after the word "Provided" and before the words "that the listed entity", the words "further" shall be inserted;
 2. before the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely-

“Provided that where the listed entity is required to obtain approval of regulatory, government or statutory authorities to fill up such vacancies, then the vacancies shall be filled up by the listed entity at the earliest and in any case not later than six months from the date of vacancy;”

ii. in sub-regulation (2),

1. in the existing proviso after the word “Provided” and before the words “that the listed entity”, the words “further” shall be inserted;

2. before the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely-

“Provided that where the listed entity is required to obtain approval of regulatory, government or statutory authorities to fill up such vacancy, then the vacancy shall be filled up by the listed entity at the earliest and in any case not later than six months from the date of vacancy;”

VII. in regulation 29,

i. in sub-regulation (1),

1. after the words “prior intimation” and before the words “to stock exchange”, the words and symbols “of at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and date of the meeting,” shall be inserted;

2. in clause (d),

A. after the words “by way of” and before the words “further public offer”, the words and symbols “issue of securities (excluding security receipts, securitized debt instruments or money market instruments regulated by the Reserve Bank of India), through” shall be inserted;

B. after the existing proviso, the following new proviso shall be inserted, namely-

“Provided further that intimation for determination of issue price in a qualified institutions placement is not required if such placement is done in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.”

3. after clause (f), the following new clauses shall be inserted, namely-

“(g) any alteration in the form or nature of any of its securities that are listed on the stock exchange or in the rights or privileges of the holders thereof;

(h) any alteration in the date on which, the interest on debentures or bonds, or the redemption amount of redeemable shares or of debentures or bonds, shall be payable.”

ii. sub-regulation (2) and the proviso shall be substituted by the following sub-regulation, namely,-

“(2) The intimation required under sub-regulation (1) shall mention the date of such meeting of board of directors.”

iii. sub-regulation (3) shall be omitted;

VIII. in regulation 30, in sub-regulation (11),-

i. after the words “The listed entity may on its” and before the words “initiative also”, the word “own” shall be omitted;

ii. in the first proviso,

1. after the words “with effect from the date”, the words “as may be” shall be omitted;

2. after the words and symbol “confirm, deny or clarify” and before the words “any reported event or information” the words and symbols “, upon the material price movement as may be specified by the stock exchanges,” shall be inserted;

3. the word “rumours” shall be substituted by the word “rumour”;

4. after the words “impending specific” and before the words “event or information”, the words “material” shall be omitted;

5. after the words “event or information” the words “in terms of the provisions of this regulation are” shall be substituted by the word “is”;

6. after the words “as soon as reasonably possible” and before the words “not later than twenty four hours”, the word “and” shall be substituted by the words “but in any case”;
 7. the words “reporting of the event or information” shall be substituted by the words “trigger of material price movement”;
- iii. in the second proviso, the symbol “.” shall be substituted by the symbol “:”;
 - iv. after the second proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, -

“Provided further that when the listed entity confirms within twenty four hours from the trigger of material price movement, any reported event or information on which pricing norms provided under Chapter V or Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or pricing norms provided under Regulation 8 or Regulation 9 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or pricing norms provided under Regulation 19 or Regulation 22B of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 or any other pricing norms specified by the Board or the stock exchanges are applicable, then the effect on the price of the equity shares of the listed entity due to the material price movement and confirmation of the reported event or information may be excluded for calculation of the price for that transaction as per the framework as may be specified by the Board.”
 - v. the Explanation shall be omitted;
- IX. in regulation 30, after sub-regulation (11), the following new sub-regulation shall be inserted, namely. –
- “(11A) The promoter, director, key managerial personnel or senior management of a listed entity shall provide adequate, accurate and timely response to queries raised or explanation sought by the listed entity in order to ensure compliance with the requirements under sub-regulation 11 of this regulation and the listed entity shall disseminate the response received from such individual(s) promptly to the stock exchanges.”
- X. in regulation 34, in sub-regulation (2), in clause (f), in Explanation-1, clause (i) shall be omitted;
- XI. in regulation 43A, in sub-regulation (1), the words, symbols and numerals “(calculated as on March 31 of every financial year)” shall be omitted;
- XII. in regulation 44,
- i. in sub-regulation (5), the words, symbols and numerals “, determined as on March 31st of every financial year,” shall be omitted;
 - ii. in sub-regulation (6), the Explanation shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./125/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.

- c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
- d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
- e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/ NRO/GN/2016-17/029.
- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.
- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.
- hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.
- ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.
- jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.

- kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- ll) June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.
- mm) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- nn) August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/149.
- oo) September 19, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.
- pp) October 09, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/155.
- qq) October 20, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/158.
- rr) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/161.